(Authoritative English Text of this Department's Notification No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I-)

Dated 22 Hov, 2020 as required under article 348(3) of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh Department of Labour & Employment.

H11/20897 No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I

Dated Shimla-171002 the

NOTIFICATION

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or While benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Labour & Employment (here in after referred to as the Department), is administering the Skill Development Allowance Scheme, 2013 (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Skill Development Allowance to unemployed eligible youth for their skill up gradation, which is being implemented through the Employment Exchanges of the Department;

And whereas, under the Scheme, Skill Development Allowance (hereinafter referred to as the benefit) is given to the eligible applicants during skill training (hereinafter referred to as the beneficiaries), by the Department as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No.18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following, namely:-

- (1) A child desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
 - (2) Any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme, provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child, the benefit under the Scheme shall be given to such child subject to production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if the child has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or bio-metric update identification slip;
- (b) any one of the following documents, namely:-
 - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) School identity card duly signed by the Principal of the school, containing parents' names, and
- (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—
 - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority,
 - (ii) Ration Card; or
 - (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or
 - (iv) Pension Card; or
 - (v) Army Canteen Card; or
 - (vi) any Government Family Entitlement Card; or
 - (vii) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

- 2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media has been given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.
- 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely.
- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-



based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department.

- Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso to sub- paragraph (2) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department.
 - This notification shall come into effect from the date of its publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order

Principal Secretary (Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Shram(F)4-1/2019-Loose-I Dated Shimla-171002 the

12 HOV. 2020.

Copy forwarded for information and necessary to:-

The Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.

Regional Office, Unique Identification Authority of India (UIDAI), Ministry of Electronics and Information Technology(MeitY), Chandigarh.

All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla.

The Addl. Legal Remembrance-Cum-Addl. Secretary(Law(O)) to the Government of 3. 4. Himachal Pradesh, Shimla-2.

The Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh, Shimla.

All the Head of Departments in Himachal Pradesh. 6.

All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.

The Secretary, HP BOCW Welfare Board Thakur Vatika, Khalini, Shimla-171002, 7. Himachal Pradesh.

Guard File. 9.

(Anil Kumar Katoch)

Under Secretary(Lab.&Emp.) to the Government of Himachal Pradesh

Ph. No. 0172-2880551

हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग

संख्याःश्रम (एफ) 4-1 / 2019 लूज-। तारीख, शिमला-2, रिन्नेल ,2020 अधिसूचना

सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता दूर करते हुए प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

और श्रम एवं रोजगार विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) बेरोजगार पात्र युवकों को उनकी दक्षता के उन्नयन के लिए दक्षता विकास भत्ते की व्यवस्था करने हेतु प्रशासित की जा रही है, जिसे विभाग के नियोजनालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और स्कीम के अन्तर्गत, दक्षता विकास भत्ता, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) पात्र आवेदकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है)को दक्षता प्रशिक्षण के दौरान, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभाग द्वारा दिया जा रहा है;

और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्ः—


- 1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाले किसी बालक को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।
- (2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाला कोई बालक, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रिजस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त नियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा बालक आधार का नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची

Bridge

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू० आई० डी० ए० आई०)वैबसाइट<u>www.uidai.gov.</u> in पर उपलब्ध है) पर जाएगा :

परन्तु जब तक कि बालक को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे बालक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:—

- (क) यदि बालक पांच वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् (बायोमैट्रिक के संग्रहण द्वारा) नामांकित किया गया है, तो उसके आधार नामांकन पहचान की पर्ची; या अद्यतन बायोमैट्रिक पहचान की पर्ची;
- (ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज है, अर्थात्;
 - (i) जन्म प्रमाण-पत्र; या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख (रिकार्ड); या
 - (ii) स्कूल पहचान कार्ड जिसमें माता-पिता के नाम हो और स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षिरत, और
- (ग) विधमान स्कीम—मार्गदर्शक के अनुसार माता—पिता या विधिक संरक्षक के साथ लाभार्थी के संबंध के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्ताबेजों में से कोई एक, अर्थात्—
 - (i) जन्म प्रमाण पत्र या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का अभिलेख;
 - (ii) राशन कार्ड; या
 - (iii) भूतपूर्व सैनिक अभिदायी स्वास्थ्य स्कीम (ई.सी.एच.एस.)कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) कार्ड या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (सी.जी. एच.एस.)कार्ड; या
 - (iv) पेंशन कार्ड; या
 - (v) सेना कैण्टीन कार्ड; या
 - (vi) कोई सरकारी कुटुम्ब हकदारी कोई कार्ड; या
 - (vii) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः



परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच, प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- 2. स्कीम के अधीन सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से, विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।
- 3. उन समस्त मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमैट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक कियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्:—
- (क) अस्पष्ट उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी; तद्द्वारा विभाग निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली—छाप अधिप्रमाणन सहित आंख के पुतली के स्कैनर्ज या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;
- (ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित वैधता सहित, यथास्थिति, एक मुश्त आधार पासवर्ड या समयाधारित एक मुश्त पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;
- (ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या एक मुश्त आधार पासवर्ड या समय आधारित एक मुश्त पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहाँ स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार कार्ड पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू. आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
- 4. उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी, स्कीम के अधीन किसी बालक को नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर, अधिप्रमाणन द्वारा उसकी पहचान सिद्ध करने या आधार संख्या रखने का सबूत देने में असफलता की दशा में, या उस बालक की दशा में जिसे कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे पेरा 1 के उप—पैरा (2) के खण्ड (ख) और (ग) में वर्णित अन्य दस्तावेजों के आधार पर पहचान सत्यापित करने पर प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रसुविधा प्रदान की जाती है, वहाँ उसे अभिलिखित करने के लिए पृथक

रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा, जिसे विभाग द्वारा कालिकतः पुनरीक्षित और संपरीक्षित किया जाएगा ।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। आदेश द्वारा,

> प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या श्रम (एफ) 4–1 / 2019 लूज–। दिनांक शिमला–2, ि निवार, 2020 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2. क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, चंडीगढ़।
- 3. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
- 4. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमुला—171002 ।
- 5. श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार, हिमाचल प्रदेश शिमला-171001
 - 6. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
 - 7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
 - सचिव, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
 - 9. नियंत्रक, मुद्रण एवम लेखन, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।

10. गार्ड नस्ति।

(अनिल कुमार कटोच) अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार) हिमाचल प्रदेश सरकार।